

अख़बद भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज गुरुवार 10 फरवरी 2022 विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेंट

यूपी में वोटिंग से पहले पीएम मोदी का दावा

पांचों राज्यों में बनेगी भाजपा सरकार

प्रधानमंत्री बोले- जनता ने हमारे काम को देखा है, उत्तर प्रदेश समेत पांचों राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी



नई दिल्ली उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोटिंग से 12 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी समेत पांच राज्यों में जीत का दावा किया है। पीएम ने बुधवार को के साथ बातचीत में कहा- मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूँ कि भाजपा के प्रति लहर है। हम पांचों राज्यों में भारी बहुमत से जीतेंगे। हमें सेवा का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। जिन राज्यों ने हमें सेवा का मौका मिला है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है।

भारतीय जनता पार्टी हार-हार कर ही जीतने लगी है: पीएम मोदी ने भाजपा के पुराने दिनों को भी याद किया, जब पार्टी के पास जीत नसीब नहीं थी। पीएम ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हार-हार कर ही जीतने लगी है। हमने बहुत पराजय देखे हैं, जमानत जब होती देखी है। एक बार जनसंघ के समय चुनाव हारने पर भी मिठाई बांटी जा रही थी, तो हमने पूछा की हारने पर मिठाई क्यों बांट रहे हैं? तब बताया गया कि हमारे तीन लोगों की जमानत बच गई। राहुल गांधी बात-बात पर संसद छोड़

देते हैं: नेहरु परिवार को लेकर दिए गए बयान को लेकर पीएम ने कहा कि मैंने किसी के दादा जी, नाना जी, नानी जी के लिए कोई बयान नहीं दिया। मैंने उस समय के पीएम के बयान का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सुनता ही नहीं उसे मैं कैसे जवाब दूँ, वो बात-बात पर संसद छोड़ देता है। वंशवाद की राजनीति लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। नकली समाजवादी का मतलब 'परिवारवाद' है।

परिवारवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन: प्रधानमंत्री ने चुनावी रेली के दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 'झूठे समाजवादी' बताए जाने के अपने बयान पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, एक परिवार के कई लोग जनता के बीच जाते हैं। पिता जी बेकार हो गए तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा बेकार हो जाए तो उसका बेटा आ जाए, भाई आ जाए। आप बिहार देखिए, झारखंड देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, तमिलनाडु जाइए, सभी जगह परिवारों की पार्टियाँ हैं। एक परिवार के दो लोग सांसद बन जाए तो

वो परिवार की सत्ता नहीं हो जाएगी। परिवारवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब परिवार ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश बचे या न बचे परिवार बचे तो कैसे चलेगा। **जब बेटा ही अध्यक्ष बनेगा तो असली राजनीतिक टैलेंट का क्या होगा:** जब बेटा कैसा भी हो, लेकिन वही अध्यक्ष बनेगा तो ऐसे में असली राजनीतिक टैलेंट का क्या होगा। उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही हर बार पार्टी बदलने वाली नीति को नकार चुकी है तो इस बार क्यों इस पर चलेगी। भारतीय

'योजनाएं सब बनाते हैं, माजपा अमलीजामा पहनाती है'

अखिलेश यादव के बयान यूपी में योजनाएं भाजपा की नहीं हैं, भाजपा अमलीजामा पहनाती है पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक कलचर चला है, राजनेता बोलते रहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। 50 साल बाद भी कोई अगर वो काम कर देगा तो कहेंगे कि हमने ये उस समय कहा था, ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे।

अखिलेश यादव पर किया तंज

यूपी के पॉलिटेक्निक पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि हमने पहले भी दो लड़कों का खेल देखा है। वे इतने उदंड थे कि 'गुजरात के गधे' जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। यूपी ने उन्हें सबक सिखाया है। बाद में उनके साथ बुआ जी भी शामिल हुईं, फिर भी वे हार गए।

जनता पार्टी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हम

लखीमपुर खीरी मामले पर भी जवाब दिया

पीएम मोदी ने लखीमपुर खीरी मामले पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। जिस जज के नेतृत्व में जांच चाहती थी सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है तभी सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। देश की शक्ति को उभारना हमारा काम: पीएम ने विदेश नीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं चीन के राष्ट्रपति को तमिलनाडु ले गया, फ्रांस के राष्ट्रपति को यूपी ले गया, जर्मन चांसलर को कर्नाटक ले गया। देश की शक्ति को उभारना, हर राज्य को प्रोत्साहन देना हमारा काम है। यूपी में मैं तमिल में बोलता हूँ, दुनिया को गर्व होता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है।

इसी भावना से काम करते हैं। हमें समाज के दबे-पिछड़े वर्ग की चिंता क्यों नहीं करना चाहिए। हम जनता के कल्याण पर फोकस करते हैं।

26 अप्रैल से शुरू होगी सीबीएसई टर्म-2 परीक्षा

नई दिल्ली केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से दसवीं और बारहवीं बोर्ड की टर्म-2 परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी गई है। बोर्ड ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए बताया है कि टर्म 2 परीक्षाएं 26 अप्रैल, 2022 से शुरू होंगी। बोर्ड का यह नोटिस आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र यहाँ जाकर नोटिस को पढ़ सकते हैं और आगे की जरूरत के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा की तारीखों का विस्तृत शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट



पर जारी किया जाएगा। छात्र अधिक जानकारी और नए अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बना कर

रखें। **सीबीएसई ने जारी की जानकारी:** सीबीएसई ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दो सत्र टर्म-1 और टर्म-2 में आयोजित की जा रही हैं। टर्म-1 परीक्षा का आयोजन हाल ही में पूरा कर लिया गया है। बोर्ड ने विचार-विमर्श और देश में कोरोना महामारी की स्थिति देखने के बाद टर्म-2 परीक्षाओं का आयोजन ऑफलाइन मॉड में आयोजित करने का फैसला किया है।

उप्र में प्रथम चरण का मतदान आज 11 जिले की 58 सीटों पर पड़ेंगे वोट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में प्रथम चरण के 11 जिलों की 58 सीटों पर गुरुवार को मतदान होगा। प्रथम चरण में 73 महिला प्रत्याशी समेत कुल 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रथम चरण में सर्वाधिक 15-15 उम्मीदवार मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट से मैदान में हैं। वहीं सबसे कम पांच उम्मीदवार अलीगढ़ की इगलास सीट पर हैं। पश्चिम उप्र के 2.28 करोड़ मतदाता इन सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रदेश के मुख्य



निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को बताया कि गुरुवार को सुबह 07 बजे से सायं 06 बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच प्रथम चरण का मतदान होगा। प्रथम

संसद में उठा गंगा नदी की बदहाली का मुद्दा

नई दिल्ली: राज्यसभा में बुधवार को गंगा नदी की बदहाली का मुद्दा जोरशोर से उठा। कांग्रेस के कुमार केतकर ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय गंगा परियोजना के तहत गंगा नदी को पूरी तरह स्वच्छ करने का वादा किया था, किंतु अभी भी इसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। सदन में सूचनाकाल की कार्यवाही के दौरान केतकर ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए गठित संस्था के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं।

पिछले पांच सालों में 1898 एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण रद्द

नई दिल्ली पिछले पांच सालों में 1898 गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए जाने वाले पंजीकरण रद्द किए गए हैं। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में पूछे गए एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। राय ने बताया कि 2017 से 2021 के बीच 1898 एनजीओ का पंजीकरण 2010 के

एफसीआरए प्रावधानों के उल्लंघन के चलते किया गया है। इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जाता है और कानून के अनुरूप निर्णय लिया जाता है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि सरकार ने पंजीकरण रद्द किए जाने से प्रभावित हुए मानवीय कार्यों का कोई अध्ययन नहीं किया। एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ पहले की ही तरह काम कर रहे हैं।

ट्रिवन टावर ध्वस्तीकरण: 22 मई को गिराई जाएगी इमारत

नोएडा सेक्टर 93-ए स्थित ट्रिवन टावर को ध्वस्त किए जाने की तारीख का एलान हो गया है। ट्रिवन टावर को 22 मई को ध्वस्त कर दिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी की ओर से बुलाई गई बैठक में कार्य योजना तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश से पहले ही प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी ने इस मामले में बुधवार को सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई। सुपरटेक ने भी इमारत ध्वस्त करने वाली मुंबई की कंपनी एडिफिस को 70



लाख रुपये का चेक एडवांस पेंमेंट के रूप में दिया है। कंपनी का कहना है कि चेक क्लियर होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। मलबा देकर भी बिल्डर को देने

टावर तोड़ने के लिए मुंबई की एडिफिस एजेंसी करीब 17.55 करोड़ रुपये सुपरटेक बिल्डर से लेगी। इसमें करीब 13.35 करोड़ रुपये का मलबा निकलेगा। ऐसे में बिल्डर कंपनी एडिफिस को करीब 4.20 करोड़ रुपये का भी भुगतान करेगी। **100 करोड़ से ज्यादा का बीमा कराएगी एडिफिस:** अवैध करार दिए जा चुके ट्रिवन टावर को ध्वस्त करने के लिए मुंबई की एडिफिस कंपनी से बिल्डर कंपनी से करार किया है। विस्फोटक लगाकर इमारत को गिराया जाएगा। इस दौरान जोखिम की आशंका भी एक पहलू है।

कार्ति चिदंबरम को मिली विदेश जाने की अनुमति

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील और एयरसेल मैक्सिस डील मामले के आरोपित और पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने कार्ति चिदंबरम को 10 फरवरी से 28 फरवरी तक विदेश जाने की अनुमति दे दी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कार्ति के विदेश जाने की अनुमति देने का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा कि इस याचिका में सीबीआई को सुप्रीम

कोर्ट में दायर याचिका में न तो पक्षकार बनाया गया था और न ही उन्हें याचिका की प्रति उपलब्ध कराई गई थी। सीबीआई ने कहा कि कार्ति चिदंबरम को जब पिछली बार विदेश जाने की अनुमति दी गई थी तो उन्होंने अपने यात्रा के शेड्यूल में दो बार बदलाव किया। सीबीआई ने कहा कि दोनों ही मामलों में अभी जांच जारी है और आरोपित प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वे दूसरे देशों से मांगी गई सूचनाओं को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं।

मचा घमासान: हिजाब का बहाना, चुनाव पर निशाना

नई दिल्ली यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले कर्नाटक का हिजाब विवाद चरम पर है। बुधवार को इसमें देश-विदेश के दिग्गज नेता कूद पड़े। असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका गांधी, मलाला युसुफजई और तालिबान जहां हिजाब के पक्ष में खड़े नजर आए, वहीं यूपी के वरिष्ठ मंत्री केशव प्रसाद मौर्वे, कर्नाटक के मंत्री सुनील कुमार और भाजपा विधायक रेणुकाचार्य ने पलटवार किए। ऐसे में जानना जरूरी है कि यह विवाद क्यों गरमा रहा है? और इसका सियासी मकसद क्या है?



फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर इनमें मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्धनगर, वॉटिंग होगी। ये सभी जिले पश्चिमी यूपी के हैं। हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर,

शामली, गाजियाबाद और आगरा की 58 विधानसभा सीट शामिल हैं। इस इलाके में भाजपा, सपा, कांग्रेस व बसपा मुख्य मुकाबले में हैं। इन सीटों पर मुस्लिम वोट भी बड़ी तादाद में हैं। यह इलाका संवेदनशील भी है। मुजफ्फरनगर दंगों की आंच में झुलस चुका है। तीन तलाक को अवैध करार देने से भाजपा व केंद्र सरकार द्वारा बटोरी गई मुस्लिम महिलाओं की सहानुभूति को भी कम करना इसका मकसद माना जा रहा है। **ओवैसी ने छेड़ा मुस्लिम राग:** एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को उस हिजाब पहनी लड़की की जमकर तारीफ की जिसने कर्नाटक के कॉलेज में कुछ युवकों की नारेबाजी के बीच 'अल्लाह अकबर' का नारा गुंजाया।

'610 कश्मीरी पंडित परिवारों को घाटी में वापस मिली उनकी जमीन'

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले 5 सालों में 610 प्रवासी कश्मीरी पंडित परिवारों को उनकी जमीन वापस दिलाई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जेएंडके माइग्रेंट इंप्रूवमेंट प्रॉपर्टी (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिस्टेंट ऑन डिस्टेंस सेलस) एक्ट, 1997 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट प्रवासियों की

अचल संपत्तियों के कानूनी अभिरक्षक हैं। जिला मजिस्ट्रेट के संपत्तियों की संरक्षा और सुरक्षा हेतु कदम उठाने के अधिकार प्राप्त हैं। राय ने बताया कि सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के घाटी में पुनर्वास के लिए कई प्रयास किए हैं। कश्मीरी प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज-2015 के अंतर्गत 1080 करोड़ रुपये के खर्च के साथ राज्य में तीन हजार सरकारी नौकरियां सृजित की गई हैं।

इसके तहत 1739 प्रवासियों की नियुक्ति की गई है और 1098 अतिरिक्त प्रवासियों का चयन किया गया है। इसके अलावा नियोजित कश्मीरी को आवास उपलब्ध कराने के लिए 920 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कश्मीर घाटी में 6000 आवासों का निर्माण किया गया है। संपत्ति और सामुदायिक परिसंपत्तियों से जुड़ी शिकायतों का समाधान के लिए पोर्टल शुरू किया गया है।

